

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 60/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/188

वादी	बनाम	प्रतिवादी
अरुण व्यास पुत्र अभयकरण जाति व्यास निवासी बड़ोदा गुजरात		1.खंगारसिंह पुत्र धनसिंह जाति-राजपुरोहित निवासी-ए 234 राजबाग सूरसागर जोधपुर 2.पुखराजसिंह पुत्र प्रतापसिंह 3.रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासी आसराबा दुदावतान तहसील कल्याणपुर 4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कल्याणपूर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थिति

- 1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादी
- 2.श्री ओमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01
- 3.प्रतिवादी संख्या 02 से 4 एकतरफा।

:अंतिम निर्णय:

दिनांक- 15.3.2024

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि सरहद ग्राम आसराबा दुदावतान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 787/228 क्षेत्रफल 03.3751 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 29.08.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को वादी का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तत्पश्चात न्यायालय हाजा के संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2024 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रस्ताव प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ताओं की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा असराबा दुदावतान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 787/228 क्षेत्रफल 03.3751 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्ट.)	किस्म भूमि	लगान	वरंग
1	अरुण व्यास पुत्र अभयकरण हिस्सा पूर्ण जाति व्यास सा. बड़ोदा गुजरात खातेदार	असराबा दुदावतान	787/228	1.1250	बा.अ.	1.73	नक्शों में दर्शितनुसार
2	खंगारसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपुरोहित सा. A 234 राजबाग सूरसागर जोधपुर खातेदार	असराबा दुदावतान	787/228	1.1250	बा.अ.	1.73	नक्शों में दर्शितनुसार
3	पुखराजसिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 1/ जाति राजपुरोहित रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपुरोहित सा.देह खातेदार	असराबा दुदावतान	787/228	1.1251	बा.अ.	1.74	नक्शों में दर्शितनुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करें,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 15/3/2024 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा

(S.D.O.) बालोतरा



मूलवाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 60 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023 / 188

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
अरुण व्यास पुत्र अभयकरण जाति व्यास निवासी बड़ोदा गुजरात		1.खंगारसिंह पुत्र धनसिंह जाति-राजपुरोहित निवासी-ए 234 राजबाग सूरसागर जोधपुर 2.पुखराजसिंह पुत्र प्रतापसिंह 3.रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासी आसराबा दुदावतान तहसील कल्याणपुर 4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कल्याणपूर

राजस्व वाद बाबत:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 60 / 2023

निर्णय दिनांक :- 15.3.2024

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री ओमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 4 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 15.03.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 15.03.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़ -		जोड़

(Handwritten signature)